

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/कु.स./2021/274

जबलपुर, दिनांक: 01/04/2021

अधिसूचना

म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में जारी आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 31.03.2021 के परिपालन में विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभागों में शिक्षण कार्य 15 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे।

शासन के उक्त निर्देश का कड़ाई का पालन सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ.क्र/कु.स./2021/274 अ

जबलपुर, दिनांक: 01/04/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी आचार्यगण, रा.दु.वि.वि., जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यगणों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जिले के महाविद्यालयों को उक्त अधिसूचना से अवगत करावें।
3. कलेक्टर, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, रा.दु.वि.वि., जबलपुर को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें
5. मीडिया प्रभारी, रा.दु.वि.वि., जबलपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।
6. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर